प्रथम बैठक

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पिम)योजना
पानी की सरकार

- सहभागी सिचाई प्रबन्धन योजना (पिम) योजना माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा **"मिनिमम गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स"** के अनुकूल **"हर खेत को पानी"** देने में सहायक योजना है।
- इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन के स्थानीय कार्य, जैसे कृषकों के मध्य जल वितरण, सिंचाई का लेखा–जोखा, पानी के अपव्यय एवं मनमाने उपयोग पर नियंत्रण तथा सम्बन्धित नहर की वार्षिक मरम्मत, रख–रखाव तथा सिल्ट सफाई के कार्य आदि, जो वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे हैं, **अब कृषकों द्वारा निर्वाचित जल उपभोक्ता समितियों द्वारा सिंचाई विभाग के सहयोग एवं नियंत्रण में किये जायेंगे, अर्थात् अल्पिका एवं रजबहा स्तर पर सिंचाई विभाग की भूमिका सहयोगी और नियंत्रक की रहेगी एवं जल उपभोक्ता समितियों की भूमिका कामकाजी संस्था (कृषकों की पानी सरकार) की रहेगी।** शाखा एवं मुख्य नहर स्तर के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा यथावत कराये जायेंगे **(मिनिमम गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स)**।
- पिम योजना के अन्तर्गत कुलाबा स्तर की जल उपभोक्ता समिति का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है जिसे कुलाबा समिति कहते हैं। अल्पिका एवं रजबहा स्तर की जल उपभोक्ता समिति का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है जिसे क्रमषः अल्पिका समिति एवं रजबहा समिति कहते हैं। कुलाबा समिति के सदस्यों का निर्वाचन कुलाबा कमाण्ड के कृषकों द्वारा किया जाता है तथा अल्पिका समिति के सदस्यों का निर्वाचन अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबा समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार रजबहा समिति के सदस्यों का निर्वाचन रजबहा से सम्बद्ध अल्पिका समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुलाबा से रजबहा स्तर तक की जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन एवं गठन की प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय लगता है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
- नहरों के टेल पर स्थित खेतों तक पानी न पहुॅच पाने का मुख्य कारण नहरों की नियमित सफाई न हो पाना तथा हेड रीच के किसानों द्वारा आवष्यकता से अधिक पानी का दोहन करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अल्पिका एवं रजबहा स्तर की जल उपभोक्ता समिति को नहर की सफाई आदि के कार्यों के लिये धनराशि प्राप्त होगी जिससे प्रत्येक नहर की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पारदर्शी रूप से नियमित सफाई हो सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को जागरूक करने तथा उनकी आवश्यकता के आंकलन हेतु एक विधिवत् मंच प्राप्त होगा जहॉ पर किसानों को **पानी की महत्ता एवं उपलब्धता तथा उसके समुचित उपयोग** की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। परिणामस्वरूप सिंचाई में पानी का किफायती उपयोग प्रारम्भ होगा और अधिक से अधिक किसानों को पानी प्राप्त हो सकेगा (**हर खेत को पानी**)।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति को सिंचाई प्रबन्धन का कार्य करने हेतु उसे उसके नहर कमाण्ड की जमाबन्दी का 40 से 60 प्रतिशत धनराशि बजट के माध्यम से दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग, भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अल्पिका स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को प्रत्येक वर्ष लगभग रू0 100/– प्रति हे0 सी0सी0ए0 की दर से धनराशि नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। इसके अतिरिक्त समितियॉ कई अन्य साधनों से भी धनराषि की व्यवस्था कर सकेंगी।

नहर में पानी की उपलब्धता की सुलभ सूचना स्थानीय स्तरपर प्राप्त होना
सिंचाई में वृद्धि एवं जल के किफायती उपयोग होना
पिम से लाभ
नहर एवं खेत में जल बंटवारे के व्यवहारिक तरीके का विकास
कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सम्भावना में वृद्धि

नियमित मरम्मत के कारण अनुरक्षण व्यय में कमी
प्रत्येक नहर को समान महत्ता देना तथा नियमित सफाई करना
पिम से लाभ
कम पानी वाली फसलों को अपनाने की संभावना में वृद्धि
नहर की देख–भाल में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश का समावेश होना

प्रत्येक समिति को मिलने वाले धन की पूर्व जानकारी होना
कृषकों का स्थानीय प्रशिक्षण संभव
पिम से लाभ
छोटे/मझले कृषकों द्वारा कषि यंत्रों का उपयोग सम्भव
कृषक एवं विभाग के मध्य सकारात्मक वातावरण तैयार होना